प्रारूप–30

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद– देहरादून

पत्रांक / दिनांक – 20.02.2019

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 20.02.2019 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के विकास खण्ड देहरादून के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable परियोजना का नामः**– जनपद देहरादून के वन प्रभाग देहरादून में (थानों–ऋषिकेश–बड़कोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर–रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0, (रानीपोखरी–नटराज चौक) 3.8 कि0मी0, (रानीपोखरी चौक–जंगलात चौकी) 9.2 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.34 है0 के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को ~~वन–भूमि~~ प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने

को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.195 है0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रीवर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, ...देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
देहरादून

प0सं0../ ..../ दिनांक

प्रतिलिपि – .... को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

जिलाधिकारी
देहरादून।
जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, देहरादून

उत्तराखण्ड जनपद देहरादून के वन प्रभाग देहरादून के विकास खण्ड देहरादून के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable:-** जनपद देहरादून के वन प्रभाग देहरादून में (थानों–ऋषिकेश–बड़कोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर–रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0, (रानीपोखरी–नटराज चौक) 3.8 कि0मी0, (रानीपोखरी चौक–जंगलात चौकी) 9.2 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.34 है0 के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति,(तहसील –) की दिनांक 18/02/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रेम लाल उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री प्रेम लाल उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष) 18/02/19
2. श्री बी0बी0 मर्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
3. श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य)
4. श्री मति रीता उनियाल बी0डी0सी0 क्षेत्र (सदस्य) रानी पोखरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश देहरादून वन प्रभाग देहरादून

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड – डोईवाला जनपद देहरादून उत्तराखण्ड

क्षेत्र पंचायत सदस्य रानीपोखरी

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग (थानों–ऋषिकेश–बड़कोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर–रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0, (रानीपोखरी–नटराज चौक) 3.8 कि0मी0, (रानीपोखरी चौक–जंगलात चौकी) 9.2 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.34 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवलाखुर्द, देहरादून को उक्त भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

जयेन्द्र सिंह सिंधवाल

(जयेन्द्र सिंह सिंधवाल) कनिष्ठ उप प्रमुख विकास खण्ड रायपुर, देहरादून मो0–7579030680

के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

17.02.2019

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील............ / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

जिलाधिकारी देहरादून